<u>न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट नवाबगंज, बरेली।</u>

जमानत प्रार्थना पत्र सं0–435/2022
उ0प्र0राज्य बनाम संदीप कश्यप
मु0अ0सं0–438/2022
धारा–411,413,414 भा0दं0सं0
थाना–नवाबगंज, जिला–बरेली।

<u>दिनांकः 10.10.2022</u>

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **संदीप कश्यप** की ओर से मु0अ0सं0–438/2022 अन्तर्गत धारा– 411,413,414 भा0दं0सं0 थाना नवाबगंज जिला बरेली के मामले में प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के पास से कोई बरामदगी नहीं हुयी है। अभियुक्त दिनांक 06.10.2022 से जिला कारागार बरेली में निरूद्ध है।

सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त पर सहअभियुक्त के साथ मिलकर मोबाइल फोन, लैपटॉप और रूपये चोरी करने, बरामद होने एवं उनको घूमफिरकर बेचने का अभियोग है। अभियुक्त पर आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का, अजमानतीय व माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत के आधार पर्याप्त नहीं हैं। अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त संदीप कश्यप का मु0अ0सं0–438/2022 अन्तर्गत धारा– 411,413,414 भा0दं0सं0 थाना नवाबगंज जिला बरेली के मामले में जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(हेमेन्द्र सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
नवाबगंज, बरेली।